न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, गवालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्र. R 1514-I-17

1. धर्मा तनय मंजुआ अहिरवार
2. हल्कुआ तनय मंजुआ अहिरवार
   निवासीयान ग्राम डिकौली
   तहसील बड़ागांव धसान टीकमगढ़ म.प्र.

..........आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 27/5/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

शासन मध्यप्रदेश

............अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

निगरानी कारण दिनांक 20.05.2010 तहसीलदार बड़ागांव प्रकरण क्रमांक 36–बी/121/2009–10 एवं अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ अपील 45/2016–17 में पारित आदेश 20.04.2017 के विपरीत समक्ष श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत हैं।

महोदय,

निगराकार की ओर से विनय इस प्रकार हैं –

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

यह कि भूमि स्थित ग्राम डोगरपुर खसरा नं0 81/8 रकवा 1.439 आरे आवेदकगणो को शासकीय पट्टे पर दी गई थी जिसे इतलायवी पंजी क्रं0 2 पर आवेदक/निगराकार वर्ष 1987 से लगातार 2009–10 तक राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़ागांव के प्रकरण क्रं0 36 बी 121/2009–10 के द्वारा ग्राम बुड़ेरा के शासकीय पट्टो की जानकारी एवं कई पट्टो का पुनरावलोकन किया गया जिसमें उक्त पुनरावलोकन में आवेदक निगराकार की भूमि शामिल कर दिनांक 21.05.2010 को उक्त भूमि शासकीय घोषित कर दी गई जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़

नि०प्र०1514-I/17 टीकमगढ़ 016

29/12/17

प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । कलेक्टर, टीकमगढ़ के आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदकों द्वारा उनके समक्ष संहिता की धारा 162(2) के तहत आवेदन प्रस्तुत कर विवादित भूमि पर कब्जे के आधारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 21.8.15 में पारित अध्यादेश के अनुपालन में शासकीय पट्टेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया । कलेक्टर ने आवेदक का आवेदन इस आधार पर कि म0प्र0 शासन राजस्व विभाग द्वारा असाधारण राजपत्र दिनांक 31.12.15 को उक्त संशोधन निरस्त कर दिया गया है, आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है । चूंकि जिस राजपत्र के आधार पर आवेदक द्वारा अभ्यावेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, उस अध्यादेश को पूर्व में ही निरस्त किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर के आदेश में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि नहीं है । अतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।

प्रशा0 सदस्य